

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: सामान्य/चिकित्सा/2020/30790

दिनांक 01 अप्रैल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन सुरक्षा एवं लोक शांति को खतरा होने से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गयी है।


संक्रमण की गंभीरता एवं आपात स्थिति के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्रभावी व्यक्तियों, श्रमिकों, दिहाड़ी श्रमिकों आदि को त्वरित राहत प्रदान कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार के आदेश की पालना में नियमानुसार समुचित एवं त्वरित कार्यवाही कराने, बजट आवंटन, पात्र व्यक्तियों को समय पर राहत प्रदान कराने, इससे संबंधित समस्त रिपोर्टिंग जिला स्तर पर प्रस्तुत कराने, सूचनाएं राज्य सरकार को समय पर अग्रेषित कराने, समन्वय कराने के साथ-साथ राज्य सरकार एवं जिला कार्यालय से समय-समय पर जारी आदेश, दिशा-निर्देश की पालना के संबंध में निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है -

क्र०सं०	नाम अधिकारी एवं कार्यालय	विवरण
1.	श्री सांकेत मोदी, उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा (मोबाईल-80531 15665)	अध्यक्ष
2.	श्रीमति रेखा शर्मा, अति० कोषाधिकारी, भीलवाड़ा (मोबाईल-89469 37787, 95301 94091)	सदस्य
3.	श्री गौरव सोमानी, लेखाधिकारी, जिला कार्यालय, भीलवाड़ा (मोबाईल-86194 23013)	सदस्य
4.	श्री शरद शर्मा, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा (मोबाईल-94143 02624)	सदस्य


उक्त गठित दल सभी संबंधित से समन्वय कराते हुए जिले में प्रभावी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कर पात्र लाभार्थियों को समय पर राहत पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भौतिक रूप से भ्रमण कर यह सत्यापन करेंगे कि जिले में पात्र व्यक्तियों को लाभा प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं? तथा पात्र व्यक्ति वंचित तो नहीं हैं।

गठित दल प्रतिदिन की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट से सायं 5.00 बजे अधो-हस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा गठित दल द्वारा वक्त भ्रमण कोरोना वायरस के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो करेंगे।


(राजेंद्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर
6. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
7. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
8. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
9. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
10. प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग को गठित दल को वाहन आवंटन कराने हेतु
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
14. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
16. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
17. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
18. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
19. श्री सांकेत मोदी, उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा
20. श्रीमति रेखा शर्मा, अति० कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
21. श्री गौरव सोमानी, लेखाधिकारी, जिला कार्यालय, भीलवाड़ा
22. श्री शरद शर्मा, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा
23. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
24. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
25. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
26. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रों, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
27. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
28. कार्यालय अधीक्षक, जिला कार्यालय


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा